रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266517 CG-DL-E-29092025-266517

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4301]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2025/आश्विन 5, 1947

No. 4301]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2025/ASVINA 5, 1947

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

का.आ. 4421(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 14 के खंड (ढ) और (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का. आ. 4617 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2023 में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, एतद्वारा, नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं, जो विद्युत वितरण लाइसेंसधारी, खुली पहुंच उपभोक्ता और कैप्टिव उपयोगकर्ता हैं, के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा खपत का न्यूनतम हिस्सा विनिर्दिष्ट करती है। खुली पहुंच उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए, यह आवश्यकता वितरण लाइसेंसधारी के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से विद्युत खपत पर लागू होती है।

2. प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल विद्युत ऊर्जा खपत के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत ऊर्जा का निर्धारित न्यूनतम हिस्सा (जिसे इसमें इसके पश्चात नवीकरणीय उपभोग बाध्यता कहा गया है), जिसका पहले पैरा में उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार होगा:

6489 GI/2025 (1)

## सारणी

क्र.सं.	वर्ष			वितरित	अन्य	कुल
		पवन ऊर्जा	जलविद्युत ऊर्जा	नवीकरणीय	नवीकरणीय	नवीकरणीय
				ऊर्जा*	ऊर्जा	ऊर्जा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.36%	29.91%
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.09%	41.36%
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

टिप्पण1:\* पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए वितरित नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता सारणी में निर्धारित स्तर का 50% होगा। केवल शहरी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले वितरण लाइसेंसधारियों के लिए, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता निर्धारित स्तर का 75% होगा। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शेष वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक बाध्यता को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक में शामिल किया जाएगा।

टिप्पण 2: पवन ऊर्जा घटक के अधीन बाध्यता, तारीख 31 मार्च, 2024 के पश्चात आरंभ की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाएगा।

टिप्पण 3: जलविद्युत ऊर्जा घटक के अधीन बाध्यता, तारीख 31 मार्च, 2024 के पश्चात आरंभ की गई जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाएगा:

परंतु यह कि जलविद्युत ऊर्जा घटक के अधीन बाध्यता ऐसी परियोजनाओं से राज्य या वितरण लाइसेंसधारी को प्रदान की जा रही निःशुल्क बिजली से भी पूरा किया जा सकता है:

परंतु यह और कि जलविद्युत ऊर्जा घटक के अधीन बाध्यता भारत के बाहर स्थित जलविद्युत परियोजनाओं से भी पूरा किया जा सकता है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग-अलग मामलों के आधार पर अनुमोदित किया गया हो।

टिप्पण 4: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन बाध्यता की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी जो 10 मेगावाट से अधिक आकार की नहीं हो और इसमें सभी अभिविन्यासों (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे के प्रतिष्ठान और कोई अन्य अभिविन्यास) के अधीन सौर प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल होंगे:

परंतु यह कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता का अनुपालन, सामान्यतः, ऊर्जा (किलोवाट घंटा इकाई) के अनुसार माना जाएगा:

परंतु यह और कि यदि नामनिर्दिष्ट उपभोक्ता वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के संबंध में उत्पादन के आंकड़े प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो रिपोर्ट की गई क्षमता को 4 किलोवाट घंटा प्रति किलोवाट प्रति दिन (केडब्ल्यू/च/केडब्ल्यू/डे) के गुणांक द्वारा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा।

टिप्पण 5: अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन बाध्यता की पूर्ति टिप्पण 2, 3 और 4 में निर्धारित बाध्यता के अतिरिक्त किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित विद्युत ऊर्जा द्वारा की जा सकती है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में निम्नलिखित सभी.-

- (i) पवन ऊर्जा परियोजनाओं,
- (ii) तारीख 1 अप्रैल, 2024 से पहले आरंभ की गई निःशुल्क विद्युत सहित जलविद्युत परियोजनाओं, और ,
- (iii) बायोमास पैलेट्स और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से उत्पादित चारकोल की को-फायरिंग

से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा शामिल होगी, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

- 3. पवन, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटकों के अधीन बाध्यता प्रतिमोच्य हैं (किसी एक घटक की कमी को अन्य घटकों के अधिशेष से पूरा किया जा सकेगा), जबिक वितरित नवीकरणीय ऊर्जा अपनी कमी के लिए गैर-प्रतिमोच्य है, परंतु इसका अधिशेष उत्पादन अन्य घटकों की भरपाई कर सकेगा।
- 4. सभी नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए, नवीकरणीय उपभोग बाध्यता में न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोतों से उपभोग की गई बिजली शामिल नहीं होगी।
- 5. नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट खुली पहुंच उपभोक्ता और कैप्टिव उपयोगकर्ता किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से निर्धारित कुल नवीकरणीय उपभोग बाध्यता को पूरा करेंगे।
- 6. नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिए, नवीकरणीय उपभोग बाध्यता में ग्रिड से निकासी के बिंदु पर विद्युत ऊर्जा की खपत शामिल होगी।
- 7. (अ) नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए, नवीकरणीय उपभोग बाध्यता में सहायक उपभोग को छोड़कर, उत्पादित और स्वयं उपभोग की गई बिजली शामिल होगी। इस बाध्यता में कैप्टिव संयुक्त चक्र गैस-आधारित उत्पादन स्टेशन में अपिशष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति भाप जनरेटर (डब्ल्यूएचआरएसजी) से उत्पन्न बिजली को छोड़कर जीवाश्म-आधारित स्रोतों का उपयोग करके अपिशष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया से उत्पन्न और स्वयं उपभोग की गई बिजली शामिल नहीं होगी। इन बाध्यताओं में अपिशष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के माध्यम से उत्पन्न और स्वयं उपभोग की गई बिजली भी शामिल नहीं होगी जिसमें उप-उत्पाद गैसें या औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़े अन्य प्रकार के अविशष्ट ऊर्जा स्रोत शामिल हैं।
- (ब) इस बाध्यता में-
- (i) जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न और स्वयं उपभोग की गई बिजली का 50%; और
- (ii) एल्युमीनियम प्रगालकों में उपभोग की गई जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली का 50% शामिल नहीं होगा।
- (अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध । पर एक दृष्टांत दिया गया है।)
- 8. नामनिर्दिष्ट उपभोक्ता जो वितरण लाइसेंसधारी है, के लिए नवीकरणीय उपभोग बाध्यता की गणना वितरण लाइसेंसधारी की परिधि में उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा के आधार पर की जाएगी। इस आपूर्ति में वितरण लाइसेंसधारी के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से खुली पहुंच वाले उपयोगकर्ताओं की खपत और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पादित और स्वयं उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा शामिल नहीं होगी। (अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध -I पर एक दृष्टांत दिया गया है।)
- 9. नामनिर्दिष्ट उपभोक्ता निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों के माध्यम से निर्दिष्ट नवीकरणीय उपभोग बाध्यता को पूरा कर सकते हैं, अर्थात् :-
- (i). नवीकरणीय विद्युत का प्रत्यक्ष या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से उपभोग;
- (ii). केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार जारी किए गए, क्रय किए गए या स्व-निर्मित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र, जिनमें वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट के अधीन प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र शामिल हैं; और
- (iii). केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट बाई आउट प्राइस का भुगतान।
- परंतु यह कि बाई आउट प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से प्राप्त राशि एक अलग मद के अधीन केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण कोष में जमा की जाएगी, जिसमें से 75% रकम संबंधित राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाएगी। इन राशियों का उपयोग समग्र ऊर्जा मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और भंडारण क्षमताओं के विकास में सहायता के लिए किया जाएगा। उपयुक्त सरकार ऐसी गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमताओं के विकास में सहायता के लिए इन राशियों के उपयोग हेतु मैकेनिज्म निर्दिष्ट करेगी।
- 10. साझा नियंत्रण के अधीन एकाधिक नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अनुपालन पर कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) में परिभाषित होल्डिंग कंपनी स्तर पर या सुसंगत सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति के स्तर पर, जैसा भी मामला हो, समग्र आधार पर, विचार किया जाएगा।

- 11. ब्यूरो इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी करेगा और केन्द्रीय सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों को भी भेजी जाएगी। अनुपालन निगरानी के लिए, सभी नामनिर्दिष्ट उपभोक्ता उपाबंध-II में दिए गए प्रारूप में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जो वितरण लाइसेंसधारियों के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा और अन्य सभी नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ब्यूरो द्वारा सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षा फर्म द्वारा विधिवत प्रमाणित होगी।
- 12. नामनिर्दिष्ट उपभोक्ता वर्ष 2024-2025 के लिए अपने विधिवत प्रमाणित ऊर्जा लेखे तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक और प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए 31 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे। वे नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की खरीद या बाई आउट प्राइस के भुगतान के माध्यम से नवीकरणीय उपभोग बाध्यता में कमी ,यदि कोई हो, को पूरा करने के बाद वर्ष 2024-2025 के लिए 31 मार्च 2026 तक और प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए तारीख 31 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- 13. नवीकरणीय उपभोग बाध्यता को पूरा करने में किसी भी कमी को गैर-अनुपालन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- 14. इस अधिसूचना का अनुपालन न करने की स्थिति में, जिसमें नवीकरणीय उपभोग बाध्यता को पूरा करने में कमी, अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करना, या गलत सूचना प्रस्तुत करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, ब्यूरो या राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट एजेंसी, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार शास्ति लगाने की प्रक्रिया कर सकेगी।
- 15. ब्यूरो, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुरूप, इस अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।
- 16. विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन सभी नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए, इस अधिनियम के अधीन कोई अतिरिक्त नवीकरणीय क्रय बाध्यता लागू नहीं होगा, और राज्य-स्तरीय नवीकरणीय क्रय बाध्यता लक्ष्य इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नवीकरणीय उपभोग बाध्यता लक्ष्यों के भीतर समाहित हो जाएंगे।

[फा.सं. 9/13/2021- आर सी एम] श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

## उपाबंध - । (पैरा 7 और 8 देखें)

उदाहरण 1: एक नामित उपभोक्ता की कल्पना करें जिसकी एक वर्ष में कुल विद्युत खपत 1,000 एमयू है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

स्रोत	
क. न्यूक्लियर स्रोतों से	100 एमयू
ख. अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया से उत्पन्न और स्वयं उपभोग की गई विद्युत	300 एमयू
ग. जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न और स्वयं उपभोग की गई विद्युत	300 एमयू
घ. वितरण लाइसेंसधारी से खरीदी गई विद्युत	100 एमयू
ङ. मीटर प्रतिष्ठानों, के पीछे ग्रिड से जुड़े कैप्टिव स्रोतों, से प्राप्त नवीकरणीय विद्युत खुली पहुंच,या	200 एमयू
वितरण लाइसेंसधारी से ग्रीन टैरिफ पर अधिग्रहीत	

अतः, नवीकरणीय उपभोग बाध्यता गणना के लिए समायोजित खपत इस प्रकार होगी:

= कुल खपत - (क + ख + 0.5 x ग+ घ)

= 1000 एमयू - (100 + 300 + 0.5 x 300 + 100) एमयू = 350 एमयू

अतः, नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अनुपालन प्रतिशत है:

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

- = (नवीकरणीय ऊर्जा खपत (ङ) / समायोजित खपत) × 100
- = (200 एमयू / 350 एमयू) × 100 = 57.14%

उदाहरण 2: मान लीजिए कि एक वितरण लाइसेंसधारी के पास एक वर्ष में अपनी परिधि पर कुल विद्युत इनपुट (अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण हानियों को छोड़कर) 30,000 एमयू है, जिसमें सम्मिलित हैं:

स्रोत	
क. परमाणु स्रोतों से	2,000 एमयू
ख. नवीकरणीय स्रोतों से, जिनमें जल, पवन, सौर और बायोमास एवं नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का को-फायरिंग सम्मिलित है	10,000 एमयू
ग. वितरण हानियाँ	1,500 एमयू
घ. हरित ऊर्जा खुली पहुँच नियमों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ताओं द्वारा अधिग्रहीत नवीकरणीय ऊर्जा, तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा हरित टैरिफ पर आपूर्ति की गई ऊर्जा	900 एमयू
ङ. जीवाश्म स्रोतों से	18,000 एमयू

30,000 एमयू विद्युत इनपुट के अतिरिक्त, 500 एमयू रूफटॉप से उत्पन्न की जाती है और ग्रिड में अंतःक्षेपित की जाती है (च)

नवीकरणीय उपभोग बाध्यता गणना के लिए समायोजित खपत:

$$= 30,000 +500 - 2,000 - 900$$

= 27,600 एमयू

नवीकरणीय ऊर्जा की खपत:

=10,000 एमयू + 500 एमयू = 10,500 एमयू

नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अनुपालन प्रतिशत:

- = (नवीकरणीय ऊर्जा की खपत / समायोजित खपत) × 100
- = 10,500 एमयू / 27,600 एमयू × 100 = 38.04%

# उपाबंध -॥ (पैरा 11 देखें)

# वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा ब्यूरो को सूचना प्रस्तुत करने का प्रारूप

खंड क – मूल जानकारी				
1. नामित उपभोक्ता का नाम:				
2. रजिस्ट्री संख्या:				
3. लक्ष्य वर्ष (वित्त वर्ष):				
4. राज्य:				
खंड ख - सकल कुल विद्युत खपत (एमयू)				
1. जीवाश्म-आधारित विद्युत की खरीद और बैंकिंग:				
2. परमाणु विद्युत की खरीद (नवीकरणीय उपभोग बाध्यता से बाहर):				
3. विद्युत की बिक्री (उप-योग):				
क. गैर-डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बिक्री:				
ख. बैंकिंग (आपूर्ति):				
4. नवीकरणीय उपभोग बाध्यता के लिए कुल शुद्ध विद्युत खपत:				
5. वितरण हानियाँ (डिस्कॉम परिधि के भीतर %):				
खंड ग – नवीकरणीय विद्युत उपभोग				
प्रत्येक स्नोत के अंतर्गत एमयू में मान दर्ज करें:				
1. स्वयं उत्पादन / खरीद / बैंकिंग:				
क. पवन: ख. जल: ग. डीआरई: घ. अन्य आरई:				
2. नवीकरणीय ऊर्जा बिक्री एवं बैंकिंग (गैर-डिस्कॉम उपभोक्ताओं के लिए):				
क. पवन: ख. जल: ग. डीआरई: घ. अन्य आरई:				
3. बैंकिंग से आरई (प्राप्ति):				
4. नवीकरणीय विद्युत हेतु नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अनुपालन के लिए विचार किया गया:				
खंड घ – नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अनुपालन सारांश				
1. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)/खरीद, यदि कोई हो, खरीदा गया:				
क. खरीदे गए आरईसी: ख. आरईसी स्व-प्रतिधारित: ग. खरीदे गए बायआउट:				
2. विद्युत मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट नवीकरणीय उपभोग बाध्यता लक्ष्य (%):				

क. पवन:	%  ख. जल:	%  ग. डीआरई:	% घ. अन्य आरई:	%
3. प्रति स्रोत लक्ष	य एमयू:			
क. पवन:	ख. जल:	ग. डीआरई:	_ घ. अन्य आरई:	
4. प्रति स्रोत अनु	ुपालन एमयू:			
क. पवन:	ख. जल:	ग. डीआरई:	_ घ. अन्य आरई:	
5. अनुपालन प्रा	प्ति (%):			
6. एमयू में अधि	शेष/हानि:			
7. अधिशेष/हान्	f (%):			
वचन				
मैं/हम घोषणा क	रता/करती हूँ/करते हैं	कि ऊपर दी गई जानका	री सत्य एवं सटीक है।	
एमडी/सीईओ के	हस्ताक्षर और मुहर:		_	
राज्य भार प्रेषण	केंद्र के हस्ताक्षर और	मुहर:		
	कैप्टिव और खुली	पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा	<sup>.</sup> ब्यूरो को सूचना प्रस्तुत करने	का प्रारूप
खंड क – मूल जा				
1. नामित उपभो	क्ता का नाम:			
2. उद्योग:				
3. रजिस्ट्री संख्य	т:			
4. लक्ष्य वर्ष (वि	त्त वर्ष):			
खंड ख - सकल व्	ज़्ल विद्युत खपत <b>(</b> एम	यू)		
1. स्वयं विद्युत उ	उत्पादन (सहायक विद	युत उपभोग के पश्चात शु	<b>द्ध</b> ):	
क. कुल	जीवाश्म-आधारित ज	उत्पादन:	<del> </del>	
ख. सह⊦	-उत्पादन (जीवाश्म-अ	गधारित):		
ग. डबर	न्यूएचआर (जीवाश्म	आधारित):		_
घ. अप	शिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति (	जीवाश्म-आधारित):		
ङ. सहा	यक विद्युत खपत (डब	बल्यूएचआर को छोड़कर	):	
2. डिस्कॉम, खुर्ल	ो पहुंच और बैंकिंग वे	माध्यम से विद्युत खरीव	r. <sup>*</sup>	
क. जीव	गश्म (पीपीए/एक्सचें	ज):		
		5):		
क. जी	वाश्म विद्यत बिक्री:			

ख. बैंकिंग (भंडारण):
4. नवीकरणीय उपभोग बाध्यता के लिए शुद्ध विद्युत खपत:
खंड ग – नवीकरणीय विद्युत खपत (एमयू)
1. स्वयं के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, खरीद और बैंकिंग:
क. आरई उत्पादन (सीपीपी में आरई फायरिंग को छोड़कर):
ख. सीपीपी में को-फायरिंग से आरई:
ग. बैंर्किंग (आहरण):
घ. वितरण लाइसेंसधारी से खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा:
2. आरई बिक्री और बैंकिंग (बहिर्वाह):
क. आरई की बिक्री:
ख. बैंकिंग (भंडारण):
3. ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया (विद्युत समतुल्य):
क. ग्रीन हाइड्रोजन: ख. ग्रीन अमोनिया:
4. सकल नवीकरणीय विद्युत खपत:
खंड घ – नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अनुपालन सारांश
1. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)/खरीदे गए बायआउट:
क. खरीदे गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणामपत्र: ख. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणामपत्र  स्व-प्रतिधारित:
 ग. खरीदे गए बायआउट:
3. नवीकरणीय उपभोग बाध्यता लक्ष्य (एमयू):
4. अनुपालन प्राप्ति (एमयू):
5. अनुपालन (%):
6. अधिशेष/हानि (एमयू):
7. अधिशेष/हानि (%):
7. 31351376111 (70).
वचन
मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सटीक है।
ऊर्जा प्रबंधक / संयंत्र प्रमुख के हस्ताक्षर और मुहर:
प्रत्यापन ऊर्जा लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर,
ऊर्जा लेखापरीक्षा फर्म का नाम और मुहर:

# MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2025

- **S.O. 4421(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (n) and (x) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), (hereinafter referred to as the Act) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Power, published *vide* number S.O. 4617 (E), dated the 20<sup>th</sup> October, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the minimum share of electrical energy consumption from renewable energy for designated consumers, who are electricity distribution licensees, open access consumers and captive users. For open access consumers and captive users, this requirement applies to electricity consumption from sources other than distribution licensee.
- 2. The specified minimum share of electrical energy, referred to in first paragraph, from renewable energy sources as percentage of total electrical energy consumption (hereinafter referred to as the Renewable Consumption Obligation) for each category, shall be as per the details given in the Table below: -

Sl. No.	Year	Wind energy	Hydro energy	Distributed renewable energy*	Other renewable energy	Total renewable energy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.36%	29.91%
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.09%	41.36%
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

#### **TABLE**

- **Note1\*:** For hilly and North-Eastern States and Union territories, namely, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, the Distributed renewable energy obligation shall be 50% of the level specified in the Table. For distribution licensees serving exclusively urban consumers, the Distributed renewable energy obligation shall be 75% of the specified level. The remaining Distributed renewable energy component obligation for these States and Union territories shall be included in the Other renewable energy component.
- **Note 2:** The obligation under the Wind energy component shall be met by energy produced from Wind Power Projects commissioned after 31<sup>st</sup> March, 2024.
- **Note 3:** The obligations under the Hydro energy component shall be met by energy produced from Hydro Power Projects, commissioned after 31<sup>st</sup> March, 2024:
- Provided that the obligation under the Hydro energy component may also be met out of the free power being provided to the State or distribution licensee from such Projects:
- Provided further that the obligation under the Hydro energy component may also be met from Hydro Power Projects located outside India, as approved by the Central Government, on a case- to-case basis.
- **Note 4:** The obligation under the Distributed renewable energy component shall be met from the energy generated from renewable energy projects that do not exceed 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (net metering, gross metering, virtual net metering, group net metering, behind the meter installations and any other configuration) and Other renewable energy sources notified by the Central Government:

Provided that the compliance against Distributed renewable energy obligation shall ordinarily be considered in terms of energy (kilowatt hour units):

Provided further that in case the designated consumer is unable to provide generation data against Distributed renewable energy installations, the reported capacity shall be converted into Distributed renewable energy generation in terms of energy by a multiplier of 4 kilowatt hour per kilowatt per day (kWh/kW/day).

- **Note 5:** The obligation under the Other renewable energy component may be met by electrical energy produced from any renewable energy project other than specified in Notes 2, 3 and 4. Other renewable energy shall include, but not limited to, electrical energy generated from all,-
  - (i) Wind Power Projects;
  - (ii) Hydro Power Projects, including free power, commissioned before 1st April, 2024; and
  - (iii) co-firing of biomass pellets and charcoal produced from Municipal Solid Waste.
- **3.** Obligations under Wind, Hydro, and Other renewable energy components are fungible (shortfalls in one may be met by surpluses from others), while Distributed renewable energy is non-fungible for its shortfall but its surplus may offset other components.
- **4.** For all the designated consumers, the Renewable Consumption Obligation shall exclude electricity consumed from Nuclear Power Sources.
- **5.** Open access consumers and captive users specified as designated consumers shall meet the specified total Renewable Consumption Obligation, from any renewable energy source.
- **6.** For open access consumers specified as designated consumers, Renewable Consumption Obligation shall include electrical energy consumption at the point of drawal from the grid.
- 7.(a) For captive users specified as designated consumers, Renewable Consumption Obligation shall include electricity generated and self-consumed, excluding auxiliary consumption. The obligation shall exclude electricity generated and self-consumed from waste heat recovery process using fossil-based sources, except for electricity generated from a Waste Heat Recovery Steam Generator in a captive Combined Cycle Gas-Based Generating Station. The obligations shall also exclude electricity generated and self-consumed through waste energy recovery, including from by-product gases, or other forms of residual energy sources associated with industrial processes.
- (b) The obligation shall exclude, -
- (i) 50% of the electricity generated and self-consumed from fossil-fuel based co-generation plant; and
- (ii) 50 % of the fossil fuel-based electricity consumed in Aluminum smelters.

(An illustrative example is provided in Annexure-I attached to this notification).

- **8.** For designated consumers who are distribution licensees, the Renewable Consumption Obligation shall be calculated based on the electrical energy supplied to consumers within the periphery of the distribution licensee. This supply shall not include the consumption of open access users from the sources other than the distribution licensee and the electricity generated and self- consumed by captive users. (An illustrative example is provided in Annexure –I attached to this notification.)
- 9. Designated consumers may fulfil the specified Renewable Consumption Obligation through one or more of the following methods, namely: -
  - (i) consumption of renewable electricity, either directly or through an energy storage system;
  - (ii) purchased or self-generated Renewable Energy Certificates issued in accordance with regulations notified by the Central Electricity Regulatory Commission including Renewable Energy Certificates acquired under Virtual Power Purchase Agreements; and
  - (iii) payment of the buyout price specified by the Central Electricity Regulatory Commission:

Provided that the sums received through the buyout mechanism shall be credited to the Central Energy Conservation Fund under a separate head, from which 75% of the amount shall be transferred to the respective State Energy Conservation Funds. These sums shall be utilised to support the development of specified renewable energy sources and storage capacities, with the objective of increasing the share of non-fossil fuel energy in the overall energy mix. The Appropriate Government shall specify the mechanism for utilising these sums to support the development of such non-fossil fuel capacities.

- 10. The Renewable Consumption Obligation compliance for multiple designated consumers under common control shall be considered on an aggregate basis, at the holding company level as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or at the level of a cooperative society registered under the relevant Co-operative Societies Acts, as the case may be.
- 11. The Bureau shall monitor compliance of this notification and submit periodic report to the Central Government with a copy to the respective State Electricity Regulatory Commissions. For compliance monitoring, all the designated consumers shall furnish the required information in the format provided in the Annexure-II attached to this notification,

duly certified by the State Load Dispatch Center for distribution licensees, and by a Bureau empanelled accredited energy auditing firm for all other designated consumers.

- 12. Designated consumers shall submit their duly certified energy accounts for the year 2024-2025 by 31st October, 2025, and by 31st July for each subsequent year. They shall submit compliance report after meeting the shortfalls in Renewable Consumption Obligations through purchase of Renewable Energy Certificates or payment of buyout price, if any, by 31st March 2026 for the year 2024-2025, and by 31st December for each subsequent year.
- 13. Any shortfall in meeting the Renewable Consumption Obligation shall be treated as non-compliance and penalty may be imposed in accordance with the provisions under sub-section (3) of section 26 of the Act.
- 14. In case of a non-compliance of this notification including but not limited to shortfall in meeting the Renewable Consumption Obligation, non-submission of required information, or submission of incorrect information, the Bureau or the State designated agency may process for imposing penalty, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.
- 15. The Bureau shall issue detailed guidelines for implementation of this notification consistent with the provisions of this notification.
- **16.** For all designated consumers under the Act, no additional Renewable Purchase Obligation shall apply under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and the State-level Renewable Purchase Obligation targets shall be subsumed within the Renewable Consumption Obligation targets specified in this notification.

[F.No. 9/13/2021 - RCM]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

#### ANNEXURE -I (see paragraphs 7 and 8)

**Example 1**: Imagine a designated consumer whose total electricity consumption in a year is 1,000 MU, which includes the following:

Source		
A.	From Nuclear sources	100 MU
В.	Electricity generated and self-consumed from waste heat recovery process	300 MU
C.	Electricity generated and self-consumed from fossil-fuel based co-generation plant	300 MU
D.	Electricity purchased from Distribution Licensee	100 MU
E.	Renewable electricity consumed from grid-connected Captive sources, behind the meter installations, Open Access, or requisitioned at green tariff from distribution licensee	200 MU

So, the adjusted consumption for RCO calculation becomes:

= Total consumption –  $(A + B + 0.5 \times C + D)$ 

= 1000 MU - (100 + 300 + 0.5 x 300 + 100) MU = 350 MU

Therefore, the RCO compliance percentage is:

- = (Renewable energy consumed (E) / Adjusted consumption)  $\times$  100
- $= (200 \text{ MU} / 350 \text{ MU}) \times 100 = 57.14 \%$

**Example 2:** Imagine a Distribution Licensee has a total electricity input at its periphery (excluding inter-state and intrastate transmission losses) of 30,000 MU in a year, which includes:

Source		
A.	From Nuclear sources	2,000 MU
B.	From renewable sources including hydro, wind, solar and	10,000 MU
	co-firing of biomass and municipal solid waste	
C.	Distribution losses	1,500 MU
D.	Renewable Energy requisitioned by consumers of	900 MU
	distribution licensee as per Green Energy Open Access	
	Rules, and supplied by distribution licensee at Green Tariff	
E.	From fossil sources	18,000 MU

14	THE GAZE	TTE OF INDIA	. EATRAORDINART	[1 AK1 11—SEC. 3(11)]
	In addition to 30,000 MU ele	ctricity input, 50	0 MU is generated from ro	oof top and injected into the Grid
	Adjusted consumption for RC	O calculation:		
	=Total input $+F - A -$	- D		
	= 30,000 +500 - 2000	- 900		
	= 27,600 MU			
	Renewable energy consumed:			
	= B+F			
	=10,000 MU + 500 M	U= 10,500 MU		
	RCO compliance percentage:			
		consumed / Adiu	usted consumption) × 100	
	= 10,500 MU / 27,600		- ,	
	10,000 1120 / 27,000		<b>.</b>	
	A	NNEXURE-II (	see paragraph 11)	
Format fo	or Submission of Information	to Bureau by Di	stribution Licensees	
1. N 2. R 3. Ta 4. Sa Section B 1. Pa 2. Pa 3. E a. b. 4. N 5. D Section C Enter	- Basic Information ame of Designated Consumer: egistration No.: arget Year (FY): arte:  - Gross Total Electricity Consumers and Banking of Fossil-Furchase of Nuclear Power (Excludenticity Sales (Sub-Total): Sales to Non-DISCOM Consum Banking (Supply): et Total Electricity Consumption istribution Losses (% within DI  - Renewable Electricity Consumer values in MU under each sour	sumption (MU) Based Power: uded from RCO) ners:  n for RCO: SCOM periphery sumption nee:	:	
a. 2. R a. 3. R 4. R	wn Generation / Purchase / Ban Wind: b. Hydro: E Sales and Banking (to Non-D Wind: b. Hydro: E from Banking (Receipt): enewable Electricity considered	c. DRE: ISCOM Consum c. DRE: for RCO compli	ers): d. Other RE:	
1. R a. 2. R	<ul> <li>RCO Compliance Summar</li> <li>enewable Energy Certificates (I</li> <li>RECs Purchased: b. RI</li> <li>CO Targets specified by MoP (</li> <li>Wind: % b. Hydro:</li> </ul>	RECs)/ Buyouts, ECs Self-retained %):	: c. Buyouts Purc	
3. T	wind:			
4. C	ompliance MU per Source: Wind: b. Hydro:			

a. Wind: \_\_\_\_\_ b. Hydro: \_\_\_\_\_ 5. Compliance Achieved (%): \_\_\_\_\_ 6. Surplus / Deficit in MU: \_\_\_\_\_ 7. Surplus / Deficit (%): \_\_\_\_\_

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

Undertaking	
I/We hereby declare that the information provided above is true and a	ccurate.
Signature and Seal of MD / CEO:	
Signature and Seal of State Load Dispatch Center:	
Signature and Sear of State Load Dispatch Center.	
Format for Submission of Information to Bureau by Captive	and Open Access Consumers
Section A – Basic Information	
1. Name of Designated Consumer:	
2. Industry:  3. Registration No.:  4. Target Vacco (EV)	
3. Registration No.:	
4. Target Year (FY):	
Section B – Gross Total Electricity Consumption (MU)	
1. Own Electricity Generation (Net after Auxiliary Power Consumpti	on):
a. Total Fossil-based Generation:	/
b. Co-generation (Fossil-based):	
c. WHR (Fossil-based based):	
d. Waste Energy Recovery (Fossil-based):	
e. Auxiliary Power Consumption (excluding WHR):	
2. Electricity Purchase via Discom, Open Access and Banking:	
a. Fossil (PPA/Exchange):	
b. Banking (Drawl):	
c. From DISCOM :  3. Electricity Sales and Banking (Outflow):	
a. Fossil Electricity Sales:	
h Banking (Storage):	
b. Banking (Storage):  4. Net Electricity Consumption for RCO:	
Section C – Renewable Electricity Consumption (MU)	
1. Own RE Generation, Purchase and Banking:	
a. RE Generation (Excluding RE firing in CPP):	
b. RE from Co-firing in CPP:	
c. Banking (Drawl):	
d. RE purchased from Distribution Licensee:	
2. RE Sales and Banking (Outflow):	
a. Sale of RE: b. Banking (Storage):	
3. Green Hydrogen and Green Ammonia (Electricity Equivalent):	
a. GH2: b. Green Ammonia:	
4. Gross Renewable Electricity Consumption:	
Section D – RCO Compliance Summary	
1. Renewable Energy Certificates (RECs)/ Buyouts Purchased:	
a. RECs Purchased: b. RECs Self-Retained:	c. Buyouts Purchased:
2. RCO Target as per MoP (%):	
3. RCO Target (MU): 4. Compliance Achieved (MU):	
4. Compliance Achieved (MO):	
5. Compliance (%): 6. Surplus / Deficit (MU):	
7. Surplus / Deficit (%):	
Undertaking I/We hereby declare that the information provided above is true and a	ccurate.
Signature and Seal of Energy Manager / Plant Head:	
Signature of the Accredited Energy Auditor,	
Name and Seal of Energy Auditing Firm:	